केंद्रीय वस्तु, सेवाकर एवं सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF CENTRAL GST & CUSTOMS
विशाखापट्टणम क्षेत्र VISAKHAPATNAM ZONE

फ़ाईल न C. No. V/30/125/2018-CC(VZ) Legal   दिनांक/Date: 25.02.2019

Applications are invited from the advocates practicing in the Hon'ble High Court, Andhra Pradesh, Amaravati for constitution of a panel of Counsels to defend the cases relating to indirect taxation before the Hon'ble High Court Andhra Pradesh and for other judicial bodies. The counsels to be engaged by the department will fall under the following categories.

Sl. No.	Category	No. of Vacancy (tentative)
1.	Senior Standing Counsel	5
2.	Junior Standing Counsel	7

Qualification & experience of each category of counsel and other terms & conditions can be downloaded from www.cbec.gov.in / guidelines for appointment of standing counsels for handling cases before high court under D.O.F. No. 278A/43/2007-Legal dt. 05.12.2007 or may be obtained from any GST and Customs Commissionerate of Visakhapatnam Zone including the Office of the Chief Commissioner of Central GST and Customs. Duly Filled in application (Three copies) in proforma A or A-1 (whichever is applicable) **should be submitted in this office on or before 21.03.2019.**

The application should be dully filed up and accompanied by:-

a) Copy (ies) of Educational Qualification(s) (Three copies)
b) Copy of latest IT return
c) Documentary proof with respect to Number of Cases relating to indirect taxes dealt with during the last three (3) years as an advocate

Absence of any of the enclosures as above and / or incomplete or wrongly filled up application would be liable to cancellation of the candidature and no further grievance/ correspondence would be entertained in this regard

The envelope containing the application may be super scribed as **"Application for empanelment as departmental counsel"** and addressed to the Assistant Commissioner (Legal), Office of the Chief Commissioner Of Central GST and Customs, Vizag Zone, (Room No. 106) 1st Floor GST Bhawan, Port Area, Visakhapatnam -530035.

(बी हरेराम / B Hareram)
मुख्य आयुक्त / Chief Commissioner

Scanned by CamScanner

राष्ट्र कर बाजार

NATION TAX MARKET

केंद्रीय वस्तु, सेवाकर एवं सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF CENTRAL GST & CUSTOMS

विशाखापट्टणम क्षेत्र VISAKHAPATNAM ZONE

फा.सी.सं.V/30/125/2018-सी.सी.(वीजेड)विधिक दिनांक : 25.02.2019

माननीय उच्च न्यायालय, आंध्रप्रदेश एवं अन्य न्यायिक निकायों में अप्रत्यक्ष कराधान से संबंधित मामलों में बचाव करने के लिए अधिवक्ताओं के एक पैनल का गठन करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश, अमरावती में वकालत करने वाले अधिवक्ताओं से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं । विभाग द्वारा लगाये हुए अधिवक्ता निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आएंगे।

क्र.सं.	श्रेणी	रिक्तियों की संख्या (संभावित)
1.	वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता	5
2.	कनिष्ठ स्थायी अधिवक्ता	7

प्रत्येक श्रेणी के अधिवक्ता के लिए आवश्यक योग्यता, अनुभव एवं अन्य नियमों और शर्तों को www.cbec.gov.in / से डाउनलोड किया जा सकता हैं । उच्च न्यायालय के समक्ष मामलों को रखने के लिए स्थायी अधिवक्ता (कॉउसिल) की नियुक्ति के लिए डी.ओ.एफ.सं.278A/43/2007-लीगल, दिनांक 05-12-2007 के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों या विशाखापत्तनम ज़ोन के किसी भी जीएसटी और सीमा शुल्क आयुक्तालय से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें केंद्रीय जीएसटी और सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त का कार्यालय भी शामिल है।

प्रपत्र ए या ए -1 (जो भी लागू हो) में विधिवत भरा हुआ आवेदन (तीन प्रतियों में) दिनांक 21.03.2019 को या उससे पहले इस कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

आवेदन को विधिवत रूप से भरा जाना चाहिए और इसके साथ: -

क) शैक्षिक योग्यता(ओं) की प्रति (प्रतियां) (तीन प्रतियां)

ख) नवीनतम आयकर रिटर्न की कॉपी

ग) एक वकील के रूप में पिछले तीन (3) वर्षों के दौरान अप्रत्यक्ष करों से संबंधित निपटे गये मामलों की संख्या के संबंध में दस्तावेजी प्रमाण ।

उपरोक्तनुसार किसी भी संलग्नक के न होने और / या अपूर्ण या गलत तरीके से भरा गया आवेदन उम्मीदवारी को रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा और इस संबंध में आगे कोई शिकायत / पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदन वाले लिफाफे पर **"विभागीय अधिवक्ता के रूप सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन"** लिखा होना चाहिए तथा सहायक आयुक्त (विधिक), केन्द्रीय जीएसटी और सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त के कार्यालय, वैजाग ज़ोन, (कमरा नंबर 106), प्रथम तल, जीएसटी भवन, पोर्ट एरिया, विशाखापत्तनम -530035 को संबोधित किया जाए ।

हस्ता.

(बी. हरेराम)

मुख्य आयुक्त

Scanned by CamScanner